राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ–7 ( )/प्राशिम/परीक्षा/2011–12/3855 दिनांक : 03–08–2012

प्रधानाचार्य,

समस्त राजकीय एंव निजी महिला पॉलीटेक्निक,

संस्थान कोड संख्या 11,19,20,27,31,32,33,34,35,52,57,92

विषय :– अंको की पुनः गणना की तिथियों के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय महिला परिणाम सत्र 2011–2012

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय महिला परिणाम सत्र 2011–2012 परीक्षा का **परीणाम घोषित हो चुका है।** अंको की पुनःगणना के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यक निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें–

1. पुनः गणना सम्बन्धी प्रपत्रो का प्रारूप मण्डल की वेब साईट **http://techedu.rajasthan.gov.in** पर (BTER ⇨ Re-Totalling) पर **Excel Sheet** में उपलब्ध है। प्रारूप मण्डल की वेब साईट से डाउनलोड करे।
2. छात्र केवल **अधिकमत दो थ्योरी विषयों में ही अंको की पुनः गणना करवा सकता है** सेशनल एंव प्रेक्टिकल विषयो में पुनः गणना करवाने का प्रावधान नही है।
3. पुनः गणना का शुल्क **प्रति विषय रूपये 100/– निर्धारित है।** सभी छात्रो का शुल्क **डी. डी. (निजी महाविद्यालय)** अथवा **चालान की मूल प्रति (राजकीय महाविद्यालय)** के माध्यम से एक साथ ही निर्धारित तिथि तक मण्डल में पहुच जाने चाहिए।
4. यदि कोई विधार्थी दो से अधिक विषयों में पुनःगणना का आवेदन पत्र भर देता है तथा शुल्क भी जमा करवा देता है तो मण्डल अपने स्तर पर किन्ही दो विषयों के अंको की पुनःगणना करेगा तथा छात्र का **शुल्क न तो समायोजित किया जायेगा और ना ही लौटाया जायेगा।**
5. इन आवेदन पत्रो का पूर्ण ब्यौरा **Excel Sheet** में **सॉफ्ट कोपी (CD) एंव हार्ड कोपी मय परिशिष्ठ (प्रिन्ट आउट)** निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से मण्डल में भिजवावें।
6. पुनःगणना आवेदन पत्र **(Retotalling Form)** का **संशोधित प्रारूप मंडल की उपरोक्त वर्णित वेब साईट पर उपलब्ध है।** परीक्षार्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्र अपनी संस्थान में ही सुरक्षित रखें।
7. घोषित परिणाम के परीक्षार्थियों के लिए अंको की पुनः गणना के आवेदन पत्र भरने की **अन्तिम तिथि 17–08–2012 है** तथा सॉफ्ट कोपी (CD) एंव हार्ड कोपी (प्रिन्ट आउट) मण्डल में **दिनांक 23–08–2012 तक आवश्यक रूप से पहुँच जानी चाहिए।**
8. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान प्रधान की होगी।

भवदीय

शैक्षणिक अधिकारी

IS